



Helpline

1064



94135-02834

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- नागौर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मकराना का सहायक अभियन्ता 90 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 13 जनवरी / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई द्वारा आज गुरुवार को मकराना, नागौर में कार्यवाही करते हुये सीताराम यादव सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड-मकराना, नागौर को परिवादी से 90 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली-द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा किये गये कार्यों के बकाया 10 लाख रुपये के बिलों को प्रमाणीकरण कर पास करवाने की एवज में कमीशन के रूप में सीताराम यादव सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड-मकराना, नागौर द्वारा 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी पाली-द्वितीय के अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस श्री महिपाल चौधरी द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा मकराना, नागौर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये सीताराम यादव पुत्र श्री रामनारायण निवासी डूँगरसी का बास, तहसील एवं पुलिस थाना किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर हाल सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड-मकराना, नागौर को परिवादी से 90 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।